

छापा : लाखों के पीवीसी पाइप सीज

जयपुर ७ पत्रिका: इंग्लैंड का स्विन
औद्योगिक क्षेत्र में भारतीय मानक
न्यूरों की टीम ने एक पीवीसी बनाने
वाली फैक्ट्री में छापा मारा। वहां
भारतीय मानक न्यूरों के मानक बिना
आईएसआई मार्क का दुरुपयोग
करना पड़ा। एके सिन्हा ने बताया कि
मिलान, जिन इंडस्ट्रीज की दो इकाइयों
जो स्टॉक 100 से 158 में सेवानिवृत्त
हैं। वहां पीवीसी पाइप पर
आईएसआई मार्क का दुरुपयोग हो
रहा है। वहां पाइप में प्रिंटिंग गैलर भी
मर चुका है। दोनों इकाइयों में रखा
रुग्ण के 3500 पीवीसी पाइपों को
सीज किया। प्रासाइटर आरएस वैद्य
एक संयुक्त नैद्य के रिजल्टफुल जर्नल
को जारी है।

भारतीय मानक ब्यूरो की आईएस मार्क के दुरुपयोग पर कार्रवाई

राजिन्द्र प्रसाद

कलकत्ता। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा देशभर में औद्योगिक क्षेत्र में भारतीय मानक ब्यूरो के मानक (आईएसआई मार्क) का दुरुपयोग के मामले में कार्रवाई की गई है। भारतीय मानक ब्यूरो प्रमुख प्रांत सिक्का ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र के में शिवा ईस्टरीज की दो इकाइयों को एक लाख 30,000 एवं 158 औद्योगिक

औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में स्थित हैं, इनमें पहिली इकाई पर आईएसआई मार्क का दुरुपयोग किया जा रहा है। इनके को भारत लोक उद्योगों के क्षेत्र में भीतर कर कार्यवाई की गई।

दूसरी दो इकाइयों के द्वारा गौरीगढ़ जिला पर आईएसआई दुरुपयोग किया जा रहा था। सिक्का ने बताया कि आधुनिक कार्यकारी के लिए आईएसआई मार्क पाईयों के अलावा



विशेष टैलर को जल दिया गया, जिसके द्वारा पाईयों पर दुरुपयोग किया दोनो इकाइयों में 3500 पाईयों पर आईएसआई मार्क का दुरुपयोग किया जिसकी जल किया गया। दोनो इकाइयों के विरुद्ध भारतीय मानक ब्यूरो एक्ट 1986 के तहत कार्यवाही की जायेगी।

पाइपों पर आईएसआई मार्क के दुरुपयोग पर कार्रवाई

जोधपुर: भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने जोधपुर में लगे पाइपों पर भारतीय मानक ब्यूरो के लोगो के अभाव में आईएसआई मार्क का दुरुपयोग का मामला में कार्रवाई की है। भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के निष्कर्ष है कि जोधपुर में लगे पाइपों में, जिसका दुरुपयोग की जा रहा है जो कि प्लेट नंबर 350 एवं 358 इंस्ट्रक्शन ऑन मार्किंग और जोधपुर में निम्नलिखित पाइपों पर आईएसआई मार्क का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसी के तहत तीन नवेलीय टीम को भेजा कर जांच की गई। जांच में दोनो कंपनियों के द्वारा दी गई पाइपों पर आईएसआई दुरुपयोग किया जा रहा था। निष्कर्ष है कि जोधपुरी कार्पोरेशन के दौरान आईएसआई मार्क के अभाव में पाइपों को जमा किया गया जिससे पाइपों पर दुरुपयोग तथा दोनो इंस्ट्रक्शन में 350 एवं 358 पर आईएसआई मार्क का दुरुपयोग किया जा रहा है। दोनो कंपनियों के निम्न भारतीय मानक ब्यूरो पत्र 1986 के तहत कार्रवाई की जा रही है।